संख्या-48/2018/2189 ई-2/तेरह-2018-10/2017

प्रेषक

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कानपुरनगर।

आबकारी अनुभाग.2 लखनऊ::दिनांक 27 जून, 2018

विषय:- मै0 बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा संचालित होटल डी0एन0जी0 ग्राण्ड 117/क्यू0/173 ए0बी0सी0, शारदा नगर, कानपुर नगर के नाम एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित अपने पत्र संख्या-753-/बैठक कार्यवृत्त-बार समिति/2016-17/कानपुरनगर, दिनांक 29 नबम्वर,2016 तथा पत्र संख्या-1155/आबकारी /एफ0एल0-7अनु0/2017-18/कानपुरनगर/ दिनांक 20 नबम्वर,2017 एवं पत्र संख्या-1030/ जि0आ0अ0/क0न0/2018-19/ दिनांक 06 जून, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दि0 29-11-2016 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-243/दस-लाइसेंस-26/खण्ड-05/एफ0एल0-6-7/बार अनुज्ञापन/कानपुर नगर, दिनांक 21 मार्च,2017 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त मै0 बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा संचालित होटल डी0एन0जी0 ग्राण्ड 117/क्यू0/173 ए0बी0सी0, शारदा नगर, कानपुर नगर को एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन एतद्द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान किया जा सकता है कि उक्त होटल/बार में सी0सी0टी0वी0 कैमरे की व्यवस्था होने, शान्ति व्यवस्था के दृष्टि से पर्याप्त सुरक्षाकर्मी होने तथा अग्निशमन विभाग की अनापत्ति में दी गई शर्तों को पूर्ण होने के पश्चात् ही लाइसेंस निर्गत किये जाएं।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-48/2018/2189(1) ई-2/तेरह-2018 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-243/दस-लाइसेंस-26/खण्ड-05/एफ0एल0-6-7/बार अनुज्ञापन/कानपुर नगर, दिनांक 21 मार्च, 2017 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।